राजस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 19, 2010/श्रावण 28, 1932

No. 461] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 19, 2010/SHRAVANA 28, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 686(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस पायनियर काडर (समूह 'ख' और 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर कांस्टेबल, (पायनियर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल में निरीक्षक (ओवरसियर), उप-निरीक्षक (ओवरसियर), उप-निरीक्षक (पायनियर), हैड कांस्टेबल (पायनियर) और कांस्टेबल (पायनियर) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, पायनियर काडर, समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **चिकित्सक दृष्टया योग्यता.**—केवल वे व्यक्ति जो चिकित्सा शेप-1 में हैं, जैसा भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल चिकित्सा मैनुअल खंड-III में विनिर्दिष्ट है, इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति और प्रोन्नति के पात्र होंगे ।

7. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. निरीक्षक (ओवरसियर)	22*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4600 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्ति पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे उप-निरीक्षक (ओवरसियर) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम में अर्हता रखते हों । **टिप्पण 1 :** ऐसे उप-निरीक्षक (ओवरसियर) की बाबत् जो इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, प्रोन्नति के लिए पात्रता तीन वर्ष जारी रहेगी । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

	(12)
	टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तारित की गई हैं, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सफिारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य श्रेणी वेतन या वेतनमान में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसको ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नत पद के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. महानिरीक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष 2. उप महानिरीक्षक, (इंजीनियर) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 3. कमांडेंट (साधारण डयूटी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. उप-निरीक्षक (ओवरसियर)	68*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. +ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	20 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **टिप्पण.**—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)
1. मैट्रिकुलेशन या समतुल्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से सिविल इंजीनियरी में डिप्लोमा । **2. शारीरिक मानक :—** ऊँचाई छाती अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सें मी. 77-82 सें. मी. गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लेह लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सें.मी. 80-85 सें.मी सभी अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों 170.5 सें.मी 80-85 सें.मी **वजन :** चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक । **टिप्पण :** महानिदेशक आपवादिक पात्र मामलों में कारणों को लेखबद्ध करते हुए शारीरिक मानकों में विशेष अभियुक्ति प्रदान कर सकेंगे । **3. चिकित्सा मानक :** (क) दृष्टि : दोनों आंखों में बिना किए हुए (अर्थात बिना चश्में पहने न्यूनतम दूर दृष्टि) 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (ख) रंजक दृष्टि जांच उच्च ग्रेड में पास होना चाहिए । अंतर्जानु, सपाट पैर, स्फीत (शिरा) या आंखों में तिर्यक नहीं होना चाहिए । ऐसी कोई त्रुटि/विरूपता नहीं होनी चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षपालन में व्यवधान पड़ने की संभावना हो । 4. शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त हो ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा : **टिप्पण :** पदधारी द्वारा प्रतिनियुक्ति पर या बीमारी या शिक्षा अवकाश या अन्य परिस्थितियों के अधीन एक वर्ष या अधिक की अवधि के लिए जाने के बाद हुई रिक्ति केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी । (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों ; (ख) स्तंभ (8) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उप महानिरीक्षक, (इंजीनियर)/कमांडेंट (इंजीनियर) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट (साधारण डयूटी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 3. उप कमांडेंट (इंजीनियर)/सहायक कमांडेंट (इंजीनियर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. उप-निरीक्षक (पायनियर)	55*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', (अराजपत्रित), अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु. + ग्रेड वेतन 4200 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा ।	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे हैड कांस्टेबल (पायनियर) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम में अर्हता रखते हैं । **टिप्पण 1 :** ऐसे हैड कांस्टेबल (पायनियर) की बाबत जो इन नियमों के अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, प्रोन्नति के लिए पात्रता पांच वर्ष जारी रहेगी । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 3 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तारित की गई हैं, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य श्रेणी वेतन या वेतनमान में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसको ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नत पद के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. उप महानिरीक्षक, (इंजीनियर)/कमांडेंट (इंजीनियर) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट (साधारण डयूटी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 3. उप कमांडेंट (इंजीनियर)/सहायक कमांडेंट (इंजीनियर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. हैड कांस्टेबल (पायनियर)	417*(2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु.	चयन पद	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(11)	(12)
प्रोन्नति द्वारा ।	**प्रोन्नति द्वारा :** भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल (पायनियर) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और विभाग द्वारा संचालित पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम में अर्हता रखते हों । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1-1-2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें विस्तारित की गई हैं, से पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक सामान्य श्रेणी वेतन या वेतनमान में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उन पदों के लिए विस्तारित होगा जिसको ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नत पद के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड है ।

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमांडेंट (इंजीनियर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट (साधारण डयूटी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 3. सहायक कमांडेंट (इंजीनियर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. कांस्टेबल (पायनियर)	895* (2010) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	18 और 23 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों की दशा में शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण.**- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)
1. मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य । (क) राजगिर या बढ़ई या नलसाज या बिजली मिस्त्री या लुहार या वैल्डर या चित्रकार या पोलिसर ट्रेड में एक वर्ष का अनुभव । (ख) उन व्यक्तियों को अधिमानता दी जाएगी जिनके पास औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या मान्यताप्राप्त संस्था का ट्रेड प्रमाण-पत्र हो ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

(8)	(9)	(10)
2. शारीरिक मानक :- अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई — ऊँचाई 162.5 सें.मी., छाती 76-81 सें. मी. गढ़वाली, कुमाउंनी, गोरखा, डोगरा, मराठा की श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों और सिक्किम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर तथा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के लेह लद्दाख से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई — 165 सें.मी., 78-83 सें.मी. सभी अन्य राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों — 170.5 सें.मी, 80-85 सें.मी **वजन** : चिकित्सा मानकों के अनुसार ऊंचाई और आयु के आनुपातिक । **टिप्पण** : महानिदेशक आपवादिक पात्र मामलों में कारणों को लेखबद्ध करते हुए शारीरिक मानकों में विशेष अभियुक्ति प्रदान कर सकेंगे । **3. चिकित्सा मानक :** (क) **दृष्टि** : दोनों आंखों में बिना सुधार किए हुए (अर्थात् बिना चश्में पहने) न्यूनतम दूर दृष्टि 6/6 और 6/9 होनी चाहिए । (ख) रंजक दृष्टि जांच उच्च ग्रेड में पास होना चाहिए । अंतर्जानु, सपाट पैर या स्फीत (शिरा) या आंखों में तिर्यक नहीं होना चाहिए । ऐसी कोई त्रुटि/विरूपता नहीं होनी चाहिए जिससे कर्तव्यों के दक्षपालन में व्यवधान पड़ने की संभावना हो । 4. शारीरिक दक्षता परीक्षण, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त हो ।		

(11)	(12)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —अध्यक्ष 2. उप कमांडेंट, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य 3. उप कमांडेंट (इंजीनियर), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. I. 12013/8/2009-संगठन]

एस. सी. सिवाजी राव, उप-सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2010

G.S.R. 686(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), and in supersession of the Indo-Tibetan Border Police, Pioneer Cadre (Group 'B' and 'C' Posts) Recruitment Rules, 1999 and the Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Constable (Pioneer) Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2007, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Inspector (Overseer), Sub-Inspector (Overseer), Sub-Inspector (Pioneer), Head Constable (Pioneer) and Constable (Pioneer) in the Indo-Tibetan Border Police Force, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Pioneer Cadre, Group 'B' and Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application .—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of said posts, its classification and the Pay Band and Grade Pay/Pay Scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualification, etc.—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.—Only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force Medical Mannual Volume-III shall be eligible for appointment and promotion to the said posts under the provisions of the rules.

7. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Inspector (Overseer)	22* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band 2, Rs.9300-34800, plus Grade Pay Rs.4600	Non-selection	Not applicable	Not applicable

3264 GI/10-2

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
By promotion	**By Promotion :** From amongst Sub-Inspectors (Overseer) of Indo-Tibetan Border Police Force who have five years' regular service in the grade and have qualified in the pre-promotion Training/Courses conducted by the department. **Note 1 :** The eligibility for promotion shall continue to be three years in the case of Sub-Inspector (Overseer) of Indo-Tibetan Border Police force holding the post on regular basis as on the date of publication of these rules. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 3 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Promotion) consisting of :— 1. Inspector General, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman 2. Deputy Inspector General (Engineer) Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Commandant (General Duty), Indo-Tibetan Border Police Force —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Sub-Inspector (Overseer)	68* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band 2, Rs. 9300-34800, plus Grade Pay Rs. 4200	Not applicable	Not applicable	Between twenty to twenty-five years (Relaxable by five years in case of Government servants in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). **Note.**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of aplications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
1. Matriculation or equivalent with a diploma in Civil Engineering from an institute recognised by the Central Government.	Not applicable	Two years

2. Physical Standard :-

	Height	Chest
Minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes.	162.5 Cms.	77-82 Cms.
Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165 Cms.	80-85 Cms.
All other States and Union Territories	170 Cms.	80-85 Cms.

Weight : Proportionate to height and age as per medical standards.

Note : Director General may, for the reasons to be recorded in writing, relax in physical standards as special dispensation in exceptionally deserving cases.

3. **Medical Standards :—**

(a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Must pass high grade colour vision test.
Must not have knock knees, flat foot, varicose veins or squint in eyes.
Must not have any defect/deformity likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the physical efficiency test, written test and interview.

(11)	(12)
By direct recruitment : **Note :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or by illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from offices of Central Government (a) holding analogous posts on regular basis; (b) possessing the qualification and experience prescribed for direct recruitment under column (8).	Not applicable.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Confirmation) consisting of :— 1. Deputy Inspector General (Engineer)/Commandant (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman 2. Deputy Commandant (General Duty), Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Deputy Commandant (Engineer) Assistant Commandant (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Sub-Inspector (Pioneer)	55* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Pay Band-2, Rs. 9300-34800, plus Grade Pay Rs. 4200	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By promotion	**By Promotion :** From amongst Head Constables (Pioneer) in the Indo-Tibetan Border Police Force who have ten years' regular service in the grade and have qualified the pre-promotion course prescribed by the department. **Note 1 :** The eligibility for promotion shall continue to be five years in the case of Head Constable (Pioneer) of Indo-Tibetan Border Police Force holding the post on regular basis as on the date of publication of these rules. **Note 2 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

(12)
Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for Confirmation) consisting of :— 1. Deputy Inspector General (Engineer)/Commandant (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman 2. Deputy Commandant (General Duty), Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Deputy Commandant (Engineer)/Assistant Commandant (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force —Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Head Constable (Pioneer)	417* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2400	Selection post	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
By promotion.	**By Promotion :** From amongst Constable (Pioneer) in the Indo-Tibetan Border Police Force who have five years' regular service in the grade and have qualified the pre-promotional course prescribed by the department. **Note 1 :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

	(12)
	Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(13)		(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Promotion) consisting of :—		Not applicable.
1. Commandant (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force	—Chairman	
2. Deputy Commandant (General Duty), Indo-Tibetan Border Police Force	—Member	
3. Assistant Commandant (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force	—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Constable (Pioneer)	895* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, (Non-Ministerial)	Pay Band 1, Rs. 5200-20200 plus Grade Pay Rs. 2000	Not applicable	Not applicable	Between eighteen to twenty three years (Relaxable in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe or other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladaksh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi

(7)
Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)	(9)	(10)
1. Matriculation or equivalent from a recognised board. (a) One year's experience in the trade of a Mason or Carpenter or Plumber or Electrician or Blacksmith or Welder or Painter or Polisher. (b) Preference will be given to those who have a certificate of trade from an Industrial Training Institute or recognised institution.	Not applicable	Two years

2. **Physical Standard :—**

	Height	Chest
Minimum height for all candidates belonging to the Scheduled Tribes	162.5 Cms.	76-81 Cms.
Minimum height for candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir and Leh and Ladakh regions of Jammu and Kashmir.	165Cms.	78-83 Cms.
All other States and Union Territories	170 Cms.	80-85 Cms.

Weight : Proportionate to height and age as per medical standards.

Note : Director General may relax above eligibility criteria in deserving cases after recording the reason in writing.

3. **Medical Standards :—**

(a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).

(b) Must pass high grade colour vision test.
Must not have knock knees, flat foot, or variçose veins or squint in the eyes. Must not have any defect or deformity likely to interfere with the efficient performance of duties.

4. Must qualify the physical efficiency test, written test, trade test and interview.

(11)	(12)
By direct recruitment.	Not applicable

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmatin) consisting of :— 1. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force —Chairman 2. Deputy Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force —Member 3. Deputy Commandant (Engineer), Indo-Tibetan Border Police Force —Member	Not applicable.

[F. No. ITBP.-I. 12013/8/2009-Org.]

S. C. SIVAJI RAO, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government [illegible] Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.